बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

पो॰–बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना–800014

BIHAR ANIMAL SCIENCES UNIVERSITY

P.O.-BIHAR VETERINARY COLLEGE, PATNA – 800014

पत्रांकः कु॰स॰/प्रशा॰/सं॰सं॰: 03/Promotion/08/2020/ 215 दिनांक: 05/08/2025

कार्यालय–आदेश

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिनियम, 2020 के अध्याय–V में निहित शिक्षकों की पदोन्नति के लिये वृत्ति उन्नयन योजना के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों को निम्न ग्रेड वेतन से उच्च ग्रेड वेतन में पदोन्नति हेतु गठित स्क्रीनिंग–सह–मूल्यांकन समिति तथा साक्षात्कार समिति से प्राप्त अनुशंसा पर दिनांक–24.07.2025 को सम्पन्न विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड की पच्चीसवीं बैठक की कार्यावली संख्या–25.4 पर अनुमोदन प्राप्त है।

कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना द्वारा संचिका सं०–Admin.03/Promotion /08/2020/ Reg./BASU, Patna के टि.पृ.सं.–63/टि. पर दिनांक–05.08.2025 को प्रदत्त अनुमोदन के आलोक में संजय गाँधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना के निम्नलिखित शिक्षकों को सह–प्राध्यापक (पी.बी.–4, रू. 37400–67000 + ए.जी.पी. रू. 9000) से प्राध्यापक (पी.बी.–4, रू. 37400–67000 + ए.जी.पी. रू. 10000) के पद में उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से पदोन्नति प्रदान की जाती है:–

क्र० सं०	नाम एवं पदनाम	विभाग	एकेडमिक ग्रेड वेतन 9000/– की तिथि	एकेडमिक ग्रेड वेतन 10000/– की देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	Dr. Sonia Kumari, Associate Professor	Dairy Microbiology	24.11.2018	24.11.2021	--
2	Dr. Awadhesh Kumar Jha, Associate Professor	Dairy Business Management	26.02.2020	26.02.2023	--

1. सेवा के सामान्य नियम और शर्तें विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं समय–समय पर यथासंशोधित परिनियम के प्रावधान द्वारा शासित होंगी।
2. भविष्य में किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर विश्वविद्यालय वृत्ति उन्नयन योजना 2006 के तहत शिक्षकों/वैज्ञानिकों को प्रदान की गई पदोन्नति में संशोधन/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
3. पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षकों/वैज्ञानिकों का वेतन निर्धारण बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिनियम, 2020 के अध्याय– V के कंड़िका 5.7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगा। पदोन्नति उपरांत बकाया राशि का भुगतान वित्त नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रशासी विभाग से आवंटन प्राप्त करते हुये किया जायेगा।
4. वृत्ति उन्नयन योजना 2006 के अंतर्गत पदोन्नति के बाद पायी गई विसंगतियों के फलस्वरूप यदि अतिरिक्त आहरण किया गया/पाया जाता है तो संबंधित शिक्षक से भविष्य में भुगतान के विरूद्ध वसूली/समायोजन किया जाएगा।

ह॰/–

कुलसचिव (प्रभारी)

कृ०पृ०उ०

S2/NoHeader/Aug

ज्ञापांकः कु•स•/प्रशा•/सं•सं•: 03/Promotion/08/2020/ 907 दिनांक: 05/08/2025

प्रतिलिपिः–

1. सभी संबंधित सह–प्राध्यापक, संजय गाँधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. अधिष्ठाता, संजय गाँधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सभी अधिष्ठातागण/निदेशकगण/वित्त नियंत्रक/छात्र कल्याण–सह प्लेसमेंट पदाधिकारी/परीक्षा नियंत्रक/सभी सहायक कुलसचिव (नियुक्ति/शिक्षा एवं परीक्षा), बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सर्व–नियंत्री पदाधिकारी, आई॰सी॰टी॰,बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5/8/25

कुलसचिव (प्रभारी)

S2/NoHeader/Aug